न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 88/2015

रामप्यारी बनाम प्यारेलाल आदि

दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0

उपस्थित अधिवक्ता

श्री दिनेश शर्मा – वादी
श्री गिरधारीलाल निर्मल – प्रार्थी/प्रतिवादी

आदेश दिनांकः– 25.02.2019

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश हुई। प्रतिवादीगण की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीनी द्वारा पंजिकृत उपहार पत्र को शून्य घोषित करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया है। पंजिकृत उपहार पत्र को शून्य घोषित किये जाने का श्रवणाधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है दावा वादी चलने योग्य नहीं है। दावा श्रवणाधिकार के अभाव में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

इसलिये आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज किये जाने की कृपा करें।

जवाब प्रार्थना पत्र में वादिनी ने दर्ज किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। किसी भी कृषि भूमि से संबंधित प्रलेख को शून्य घोषित करवाने के दावे को सुनने का श्रवणधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को होता है, हस्तगत प्रकरण में भी चुनौग्रस्त उपहार पत्र के संबंध में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। दावा कानूनन मेन्टेनेबल है। प्रतिवादी की ओर से सिविल न्यायालय को हस्तगत वाद की सुनवाई का अधिकार होने का जो कथन किया है वह गलत होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के प्रावधानों में नहीं आने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 01 ने यह प्रार्थना पत्र कतई गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रकरण को देरीना करने के उद्देश्य से गलत रूप से प्रस्तुत किया है, इसलिये सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। इसलिये जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी खारिज फरमाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

बहस प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये। दान पत्र शून्यकरणीय है न कि शून्य। वाद वादीनी इस न्यायालय के श्रवणाधिकार के अभाव में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत कथन किये गये।

बहस प्रार्थना पत्र में वकील वादीनी ने कथन किया कि किसी भी कृषि भूमि से संबंधित प्रलेख को शून्य घोषित करवाने के दावे को सुनने का श्रवणधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को होता है, हस्तगत प्रकरण में भी चुनौग्रस्त उपहार पत्र के संबंध में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। दावा कानूनन मेन्टेनेबल है। प्रतिवादी की ओर से सिविल न्यायालय को हस्तगत वाद की सुनवाई का अधिकार होने का जो कथन किया है वह गलत है। आवेदन प्रतिवादीगण खारिज किये जाने बाबत कथन किये गये।

हमने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। बहस वकुलाय फरीकेन पर मनन किया। वादी ने अनुतोषकरण में उपहार पत्र को शून्य घोषित करवाने का अधिकार राजस्व न्यायालय से चाहा गया है जबकि पंजीकृत उपहार पत्र को शून्य करार देने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(4) जा0 दी0 वाद किसी विधि द्वारा वर्जित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(4) जा0 दी0 वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है को स्वीकार करते हुए दावा वादीनी खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

(रेनू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

सत्यमेव जयते
eCourts Copy - Not Official